COEI/II

पत्रांक :–14 / आ0नी0–04–02 / 2023 का0 2669/(3)

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची
सचिव कोषांग
आवरी नं 619 दिनांक 12/5

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
पत्र प्राप्त
12 MAY 2023
राँची

प्रेषक,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

राँची, दिनांक– 10/05/2023

विषयः– **अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग–दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय–समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। वर्त्तमान में परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन समेकित निदेश तथा जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का भी मानक प्रपत्र जारी किया गया है।

2. परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र में कतिपय सुधार हेतु विभिन्न स्तरों से सुझाव प्राप्त होने के कारण विभागीय परिपत्र सं0–1361, दिनांक–03.03.2022 द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा विहित जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र–V को यथा स्थिति (हुबहु) झारखण्ड सरकार द्वारा भी अंगीकृत करते हुए परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा परिचारित प्रपत्र 1A तथा IV को संशोधित किया गया है।

3. उक्त संशोधन के फलस्वरूप परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र IV एवं प्रपत्र V की अंतर्वस्तु में कोई अंतर नहीं रह जाने के कारण

अलग–अलग प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का औचित्य अब प्रतीत नहीं हो रहा है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र–IV को विलोपित करने तथा भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु विहित प्रपत्र–V को भारत सरकार तथा झारखण्ड सरकार अन्तर्गत सभी स्तरों एवं सभी प्रयोजनों हेतु मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 तथा परिपत्र सं0–1361, दिनांक–03.03.2022 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/5/2023

(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ0नी0–04–02/2023 का0 2669 / राँची, दिनांक– 10/05/2023

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र के साफ्टवेयर में तद्नुसार वांछित संशोधन करने की कृपा की जाय।

10/5/2023

सरकार के सचिव।

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....,
पिता ..... ग्राम/नगर .....,
जिला/प्रमंडल ....., राज्य/संघशासित प्रदेश .....,
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन ..... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से ..... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल ..... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान .....
तिथि .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - V

Amended

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA/THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ..... Son/ Daughter of Shri/Smt. ..... of Village/ Town .....District/ Division*.....of the State/Union Territory .....belongs to the ..... Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act. 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes ans Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

* The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* .....District/Division* of the State/Union Territory* of .....

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in Caste list under SC/ST category for Jharkhand.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature.....

Designation .....

(with seal of office)

Place.....

Date.....